संख्या- 2050/23-27-सिं0-9-2023

प्रेषक,

डा0 अरविन्द कुमार चौरसिया,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं शोध), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 लखनऊ, दिनांकः 05 अक्टूबर, 2023

विषयः-निर्माण परियोजनाओं में सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित शासनादेशों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1153/23-27-सिं0-9-2023, दिनांक 01.06.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्त विभाग (लेखा), अनुभाग-2 द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 17-05-2023 के प्रस्तर-2 में बिन्दु सं0-1, सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रतिभार) तथा बिन्दु सं0-2, वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में उल्लिखित बिन्दुओं के अनुसार निर्माण परियोजनाओं में सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति हेतु अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निदेशित किया गया था, जिसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में वित्त पोषण हेतु शासन प्रेषित की जाने वाली ऐसी परियोजनाओं, जिनका मूल्यांकन/Appraisal शासनादेश दिनांक 19-05-2023 निर्गत होने की तिथि के पश्चात हुआ हो, से सम्बन्धित प्रेषित प्रस्तावों को वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 17-05-2023 में उल्लिखित बिन्दु सं0-2(1) के अनुसार सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार) से सम्बन्धित इस आशय का प्रमाण पत्र कि "प्रमाणित किया जाता है, कि (परियोजना का नाम (लागत रू0 लाख) का उल्लेख करें) परियोजना का परीक्षण/मूल्यांकन उक्त शासनादेश में निहित प्राविधानों के अनुरूप कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त शासन वित्त पोषण हेतु प्रेषित किया जा रहा है।", को

अनिवार्यतः संलग्न किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

3- उक्तवत शासनादेश दिनांक 17-05-2023 में उल्लिखित बिन्दु सं0 2(2) वित्तीय स्वीकृति के क्रम में परियोजना हेतु द्वितीय किश्त निर्गत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव निम्न प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें :-

(धनराशि लाख रूपए में)

क्र0सं0	परियोजना का नाम	अनुदान सं0/ लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राविधानित बजट	शासन द्वारा प्रदत्त स्वीकृति का संदर्भ शासनादेश सं0- /, दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति की लागत (a) / गठित अनुबंध की लागत (b)	अनुबन्धित लागत के आधार पर कार्य की पुनरीक्षित लागत	गठित अनुबन्ध/ पुनरीक्षित लागत के आधार पर बचत {6(a)-7}	अब तक क्रमिक आवंटन	परियोजना पर आवंटन हेतु अवशेष धनराशि (पुनरीक्षित लागत सापेक्ष) (7-9)	वित्तीय वर्ष 2023-24 में	
										अनुदान सं0/लेखा शीर्षक	अवमुक्त की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

उक्त के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित समस्त प्रस्ताव जो कि शासन को प्रेषित होंगे उसमें उपरोक्त का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित किया जाय, अन्यथा की स्थिति में शासन द्वारा सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

Signed by डॉ.अरविन्द कुमार चौरसिया
Date: 05-10-2023 18:30:29
Reason: Approved
(डा0 अरविन्द कुमार चौरसिया)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।

(2) समस्त विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(3) समस्त संयुक्त सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(4) अनुभाग अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2,3,4 एवं 10, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(वी0एन0 तिवारी)
उप सचिव